

1904

5000Rs.




03

वरिष्ठ कोषाधिकारी

1 FEB 2005

मुजफ्फरनगर



51287

कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम  
चिरस्थायी पट्टा सहकारी

● प्रथम पक्ष	:- आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
● द्वितीय पक्ष	:- श्री शरद कुमार
● प्रीमियम	:- 16,000/-रूपये
● निर्धारित दर	:- 1,500/- रूपये प्रति वर्गमीटर
● मालियत	:- 2,43,000/- रूपये
● स्टाम्प शुल्क	:- 14,580/- रूपये

हम कि आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि० मुजफ्फरनगर {पंजीकरण संख्या 1210} {द्वारा सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री त्रिलोक चन्द जैन निवासी 34, प्रेम विहार मुजफ्फरनगर 'सचिव' समिति} {जिसे इसके बाद विलेख में समिति या

SECRETARY

Alak Co-op Housing Society Ltd.  
Muzaffarnagar

Sharad Kumar



31  
 21/2/15  
 स्टांप विक्रय की तिथि .....  
 स्टांप क्रम करने का प्रयोजन .....  
 स्टांप केना का नाम व पूरा पता .....  
 स्टांप की धनराशि .....  
 289 380000

नरेन्द्र कुमार (स्टांप विक्रेता)  
 तहसील सदर, मजफ्फरनगर  
 साइसिस सं० 101

पि० पट्टा क्रमांक 16000  
 नि० शुल्क तु० शुल्क 2000  
 31-3-2005

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रीमान् चन्द जी  
 पशा रिवास निवासी 34 पे भविषा  
 कि यह आलेख कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

में आज दिनांक 25/2/2005

को 11 व 12 वजे दिन के मध्य प्रस्तुत किया। (एल० सी० पाण्डेय)  
 उप निबन्धक प्रथम  
 मुजफ्फरनगर

उपनिबन्धक प्रथम, मुजफ्फरनगर  
 25/2/2005

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रीमान् चन्द जी  
 पशा रिवास निवासी 34 पे भविषा

मौजा बुआ

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रीमान् चन्द जी  
 पशा रिवास निवासी 34 पे भविषा

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रीमान् चन्द जी  
 पशा रिवास निवासी 34 पे भविषा

(एल० सी० पाण्डेय)  
 उप निबन्धक प्रथम  
 मुजफ्फरनगर

उपनिबन्धक प्रथम, मुजफ्फरनगर  
 25/2/2005

Shivraj Kumar

Lawyer  
 25-2-05



13

वारंठ कोबा धिकारी

5198

(2)

7 FEB 2005

मुजफ्फरनगर

प्रथम पक्ष कहा जायेगा} प्रथम पक्ष व श्री शरद कुमार पुत्र स्व० श्री रवि दत्त शर्मा निवासी 268, ब्रहमपुरी मुजफ्फरनगर {सदस्य' आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि० मुजफ्फरनगर जिनकी समिति में सदस्यता नम्बर 945 है} द्वितीय पक्ष हैं।

जो कि प्रथम पक्ष ने अपने सदस्यो की आवासीय मॉग की आपूर्ति हेतु परगना व तहसील मुजफ्फरनगर ग्राम बीबीपुर के स्थित गाटा संख्या 1,2,4,8,9, 10,11,12,13,16,20,21 व 22 मि०, ग्राम कूकडा स्थित गाटा संख्या 481, 485 मि० 497 मि०, व 498 मि० तथा ग्राम शेरनगर स्थित गाटा संख्या 15 मि० 16,17,18 मि०, को उनके भूस्वामियो से क्रय किया तथा उक्त भूमि अब पूर्णतः समिति के स्वामित्व एवं कब्जे में है, इस भूमि को कालोनी का स्वरूप देकर, इसका नाम 'सुरेन्द्रनगर' रखा गया तथा इस हेतु भूखण्डों को तलपट मानचित्र {लेआउट प्लान} बनवा कर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा स्वीकृत कराया गया। प्रत्येक सदस्य के लिये भूखण्डों का चयन सदस्यो की उपस्थिति में लाटरी पद्धति से किया गया। तदानुसार भूखण्ड संख्या 298 Phase-I जिसका विवरण दिया गया है, का आबंटन श्री शरद कुमार पुत्र स्व० श्री रवि दत्त शर्मा निवासी 268, ब्रहमपुरी मुजफ्फरनगर जिसे इसके बाद द्वितीय पक्ष कहा जायेगा को किया गया है। अतः यह भूखण्ड प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्तो पर आवास गृह बनवाने हेतु चिरस्थायी पट्टे पर दिया। अतः दोनो पक्ष निम्नलिखित शर्तो से स्वयं को तथा अपने अपने उत्तराधिकारियो को पाबन्द करते है:-

SECRETARY  
Alok Co-op Housing Society Ltd.  
Muzaffarnagar

Sharad Kumar





2.9 FEB 2005

मुजफ्फरनगर

5080

(3)

1. यह कि द्वितीय पक्ष और उसके उत्तराधिकारी को आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि० मुजफ्फरनगर के नियमों से पाबन्द होंगे।
2. यह कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को अंकन 16,000/-रुपये जिसके आधे अंकन 8,000/-रुपये होते हैं, अदा किये हैं और प्रथम पक्ष ने उक्त भूखण्ड से अपना कब्जा मौका पर से उठा कर द्वितीय पक्ष का कब्जा अपने तुल्य करवा दिया है।
3. यह कि द्वितीय पक्ष आधिपत्य प्राप्त होने पर समिति द्वारा प्रदत्त समय अवधि के भीतर, आर्बिट्रल भूखण्ड पर भवन निर्माण करेगा और यदि किसी कारणवश निर्माण न कर सके तो समिति उक्त को उन कारणों से सूचित कर समिति से लिखित रूप में, अवधि बढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त करेगा ऐसा न करने की दशा में समिति को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष को उक्त भूखण्ड का प्रतिदान देकर [जिसकी धनराशि द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई से अधिक नहीं होगी] चिरस्थायी पट्टा रद्द कर दे और अन्य जरूरतमन्द सदस्यों को चिरस्थायी पट्टे पर दें।
4. यह कि द्वितीय पक्ष आर्बिट्रल भूखण्ड पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के नियमानुसार निर्माण करेगा और भवन निर्माण करने में समिति द्वारा आर्बिट्रल भू भाग [हर हद्दूरबों] से अधिक अन्य भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा और समिति की जल सप्लाई लाईन पर मोटर पम्प [टुल्लू पम्प] इत्यादि नहीं लगायेगा व सार्वजनिक सडक व सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायेगा। तथा पशु इत्यादि पालने की दशा में उक्त पशु को समिति द्वारा आर्बिट्रल भू भाग के

SECRETARY

Alok Co-op Housing Society Ltd,  
Muzaffarnagar

Sharad Kumar,





13  
 रिष्ठ कोवाधिकारी  
 19 FEB 2005  
 मुजफ्फरनगर

(4)

- हददरसो मे ही रखेगे किसी भी सार्वजनिक स्थान का प्रयोग पशु इत्यादि के लिये नही करेगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण मे कोई नाली, रोशनदान, खिडकी, छज्जा आदि पार्क या अन्य किसी भूखण्ड की ओर नही निकालेगा या खोलेगा तथा किसी प्रकार की कोई गन्दगी भवन के बाहर, सडक पर पार्क पर या किसी अन्य भूखण्ड पर नही करेगा। मकान में आवागमन हेतु आवश्यक चौडाई से अधिक नाला या नाली पर अतिक्रमण नही करेगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष या उसके उत्तराधिकारी उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये मकान को प्रथम पक्ष की लिखित अनुमति के बिना किसी को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नही करेगा। लिखित अनुमति के उपरान्त हस्तान्तरण या विक्रय के फलस्वरूप द्वितीय पक्ष भूखण्ड में जो शुद्ध लाभ अर्जित करेगा उसका 10 प्रतिशत समिति को अदा करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष लिखित अनुमति के बिना उक्त भूखण्ड या उस पर बने मकान को हस्तान्तरित करेगा तो यह चिरस्थायी पट्टा स्वतः रदद माना जावेगा। लेकिन द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड या उस पर बने मकान को सरकारी संस्थान, सहकारी संस्थान, आवास विकास परिषद, सहकारी बैंक, अनुसूचित निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थान इत्यादि से कोई ऋण लेने के लिये या ऋण प्राप्त करने वाले गारन्टर के रूप मे रहन रख सकता है और इसके लिये प्रथम पक्ष की अनुमति आवश्यक नही होगी।

SECRETARY  
 Alok Co-op Housing Society Ltd,  
 Muzaffarnagar

Shamul Kumar



19 FEB 2005  
 मुजफ्फरनगर

5062

(5)

वित्तीय संस्थानों को अपनी ऋण वसूली के लिये उक्त सम्पत्ति को बेचने की स्थिति में प्रथम पक्ष से किसी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

*(Signature)*  
 SECRETARY  
 Moh Co-op Housing Society Ltd.  
 Muzaffarnagar

*Sharad Kumar*





रफ्त कान...

7.9 FEB 2005

मुजफ्फरनगर


5663


(6)

यह कि द्वितीय पक्ष उक्त प्लॉट पर निर्मित भवन मे कोई ऐसा किरायेदार नही रखेगा जिससे सुरेन्द्रनगर के निवासियों को या प्रथम पक्ष को कोई असुविधा या और हानि हो यदि वह ऐसा करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह ऐसे किरायेदार से उक्त भवन खाली कराके किसी अन्य किरायेदार को किराये पर दे दे।

Sharaad Kumar

SECRETARY  
Alok Co-op Housing Society Ltd,  
Muzaffarnagar






(7)

8. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड पर केवल आवास निर्माण करेगा और इसका उपयोग केवल आवास प्रयोजन हेतु ही करेगा। भूखण्ड में बनाये गये भवन में कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक संस्थान स्थापित नहीं करेगा।

SECRETARY  
Alok Co-op Housing Society Ltd.  
Muzaffarnagar

Sharad Kumar








(5)

9. यह कि द्वितीय पक्ष सुरेन्द्रनगर मे शान्ति, अनुशासन व व्यवस्था बनाये रखने मे प्रबन्ध कमैटी से पूर्ण सहयोग करेगा और विहार के उत्थान एवं विकास के लिये प्रबन्ध कमैटी द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन करेगा।

अतः यह चिरस्थायी पट्टा लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

3  
 SECRETARY  
 Aksh Co-op Housing Society Ltd.  
 Muzaffarnagar

Sharad Kumar





(9)

चिरस्थायी पट्टा प्रथम पक्ष की ओर से समिति के सचिव ने समिति के संचालन मण्डल की बैठक दिनांक 25-07-1998 ई० के प्रस्ताव सं० 3 के अनुपालन में निष्पादित किया। सचिव की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी।

विवरण सम्पत्ति स्थित मौहल्ला सुरेन्द्रनगर Phase -I मुजफ्फरनगर परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:-

दरोबस्त भूखण्ड सं० 298 Phase -I जिसकी पैमायश इस प्रकार है:-  
 उत्तर:- 9 मीटर, दक्षिण:-9 मीटर, पूर्व:-18 मीटर, पश्चिम:-18 मीटर, क्षेत्रफल:-162 वर्गमीटर तथा जिसकी सीमाएं इस प्रकार है:-उत्तर:- रास्ता 9 मीटर चौड़ा, दक्षिण:-प्लॉट नम्बर 277, पूर्व:- प्लॉट नम्बर 297, पश्चिम:- प्लॉट नम्बर 299

  
 SECRETARY

Shard Kumar  
 5  
 Alok Co-op Housing Society Ltd.  
 Muzaffarnagar

Sharad Kumar





(10)

नोट:- उक्त प्लॉट ग्राम कूकडा के खसरा नम्बर 485 में स्थित है।

SECRETARY  
Alok Co-op Housing Society Ltd.  
Muzaffarnagar

Sharda Kumari

साक्षीगण:-

1-

Subhash  
Do

2-

Sharda  
Do

लेखतिथि:- 21.2.2005 ई0

डाफ्टकर्ता:- संदीप अग्रवाल एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर।

Sharda  
Do

# “अंगुली का प्रकार”

का नाम श्री सुरेश कुमार वैन 5/6 त्रिलोक चन्द 05

	अगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम श्री बरधुआर 5/6 स्वः शिवदत्त शर्मा

दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम

दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					



पक्षकार का नाम

दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					


बही नं० I जिल्हा २५३० को पृष्ठ ३०१  
में नं० १९०५ पर दिनांक २९/२/०९ को  
रजिस्ट्री की गई।  
[Signature] (प्रथम)  
मजदर नगर।




Plot at Moh. Suresandra Nagar




हम अस्तव द्वारा घोषित करते हैं उक्त प्लॉट का सही नक्शा  
जारी है और 50मीटर की त्रिज्या में आवासीय क्षेत्र है।


  
SECRETARY  
Alok Co-op Housing Society Ltd.  
Muzaffarnagar




Sharad Kumar




FRONT-ELEVATION



SECTION AA'



GROUND FLOOR PLAN



TERRACE PLAN

PLOT NO 297

